न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 02 / 2025 **दायर दिनांकः 01.04.2025**

उनवान

1. राधा बाई आयु 48 वर्ष पत्नि स्व० माणकचन्द जाति जाटव निवासी सहरोद हाल निवासी लंका कॉलोनी बारां तह० बारां जिला बारां (राज०)

अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत सहरोद पंचायत समिति अटरू तह० अटरू जिला बारां (राज०)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू जिला बारां (राज०)

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1835 दिनांक 20 / 12 / 2023 ग्राम पंचायत सहरोद पंचायत समिति अटरू जिला बारां

उपस्थिति :—

अपीलान्ट :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर

रेस्पोडेन्ट :— पेरोकार सरकार

निर्णय दिनाकः 19.06.2025

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट में अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1835 दिनांक 20 / 12 / 2023 ग्राम पंचायत सहरोद पंचायत समिति अटरू जिला बारां (राज.) इस आशय की पेश की है कि वाके ग्राम एवं माल सहरोद पटवार हल्का सहरोद तह० अटरू जिला बारां (राज०) के खाता सं० 187 का ख0नं0 477 का रकबा 0.67 हे0, ख0नं0 504 / 1655 का रकबा 0.07 हे०, ख0नं0 505 / 1656 का रकबा 0.02 हे० कुल किता 3 का रकबा 0.76 हे० आराजी मृतक देवीलाल के शामलाती तथा खाता सं० 189 का ख0नं0 1046 का रकबा 1.89 हे0 आराजी मृतक देवीलाल के खाता दर्ज स्थित चली आ रही थी। देवीलाल की मृत्यु दिनांक 05 / 03 / 2021 को ग्राम सहरोद में हो चुकी है। नवीन नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 तथा मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र की प्रति साथ में संलग्न है जो काबिल गौर है। ग्राम पंचायत सहरोद द्वारा देवीलाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाटव की मृत्यु होने के उपरान्त उसके वारिसान मे अपीलान्ट का नाम दर्ज नही किया जबकि अपीलान्ट मृतक देवीलाल के मृतक पुत्र माणकचन्द की पत्नि है। इसलिये देवीलाल के वैध एवं जायज वारिसान में अपीलान्ट राधा बाई पत्नि स्व० माणकचन्द का नाम दर्ज होना चाहिए। अपीलान्ट के पति माणकचन्द की मृत्यु

अपीलान्ट के ससुर देवीलाल की मृत्यु से पूर्व दिनांक 17/02/2003 को हो चुकी थी। परन्तु पटवार हल्का व रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने मृतक देवीलाल के वारिसान में देवीलाल की पुत्रवधु राधा बाई अपीलान्ट का नाम फोती इन्तकाल तस्दीक करते वक्त मृतक देवीलाल के वारिसान की सही जाँच नहीं की और इन्तकाल नं0 1835 दिनांक 20/12/2023 को अवैधानिक व गैर कानूनी तरीके से खोल दिया गया। जिसे निरस्त फरमाया जाकर मृतक देवीलाल के वारिसान में अपीलान्ट राधा बाई पत्नि स्व० माणकचन्द का नाम दर्ज कर पुनः नामान्तकरण खोला जाना न्यायहित में आवश्यक है। नामान्तकरण सं० 1835 की प्रति साथ में संलग्न है। अपीलान्ट राधा बाई मृतक देवीलाल के मृतक पुत्र माणकचन्द की विवाहिता पत्नि है तथा माणकचन्द के कोई पुत्र/पुत्री नही है तथा अपीलान्ट ने किसी भी अन्य व्यक्ति से पुर्नविवाह नही किया है। इसलिये हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक देवीलाल के स्वामित्व की आराजी में अपीलान्ट राधा बाई का हिस्सा व अधिकार कानूनन बनता है। अपीलान्ट राधा बाई को विधवा पेंशन भी राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21/07/2005 को स्वीकृत की गई है। जिसे अपीलान्ट प्रतिमाह प्राप्त कर रही है। पेंशन भुगतान आदेश कोषाधिकारी बारां की प्रति साथ में संलग्न है। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा मृतक देवीलाल के स्वामित्व की ग्राम सहरोद की आराजी खाता सं० 187 व 189 में नामान्तकरण सं० 1835 दिनांक 20/12/2023 अवैधानिक व गैर कानूनी तरीके से खोला गया है। इसलिये उपरोक्त दोनो खाता मे नामान्तकरण संख्या 1835 को खारिज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम सहरोद तहसील अटरू में स्थित है, इसलिये अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अपील नामान्तकरण सख्या 1835 की जानकारी दिनांक 22/03/2025 को राजस्व जमाबन्दी की नकल निकलवाने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 24/03/2025 को श्रीमान् तहसीलदार साहब अटरू को अपीलान्ट राधा बाई का नाम जुडवाने का प्रार्थना पत्र देने पर तथा श्रीमान् तहसीलदार साहब द्वारा माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की सलाह देने की दिनांक 24/03/2025 से अपील अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः माननीय न्यायालय में अपीलान्ट अपील प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर मृतक देवीलाल के वारिसान के पक्ष में खोले गये नामान्तकरण सं० 1835 दिनांक 20/12/2023 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट राधा बाई पत्नि स्व० माणकचन्द का नाम मृतक देवीलाल के वारिसान में जोडकर पुनः नामान्तकरण खोलने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेरपोडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेट क्रम 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पोडेन्ट क्रम 2 द्वारा जवाब अपील पेश कर कथन किया कि मुताबिक जमाबन्दी ग्राम सहरोद के खाता संख्या 187 का ख0नं0 477 रकबा 0.67 है0, ख0नं0 504/1655 रकबा 0.07 है0 व ख0नं0 505/1656 रकबा 0.02 है0 कुल किता 3 का रकबा 0.76 है0 आराजी में देवलाल पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1/6 जाति जाटव शामलाती खाते तथा खाता संख्या 189 का ख0नं0 1046 रकबा 1.89 है0 भूमि में देवीलाल पुत्र रामचन्द्र हिस्सा पूर्ण जाति जाटव सा0 देह के खाते दर्ज थी। खातेदार देवीलाल पुत्र रामचन्द्र की मृत्यु हो चुकी है। खातेदार देवीलाल पुत्र रामचन्द्र की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त भूमि में नामान्तकरण संख्या 1835 दर्ज किया गया। दिनांक 20.12.2023 को नामान्तकरण स्वीकार किया गया। अपीलान्ट राधा बाई पत्नी स्व0 माणकचन्द जाति जाटव मुताबिक दस्तावेज मृतक खातेदार देवीलाल पुत्र रामचन्द्र के मृतक पुत्र माणकचन्द की पत्नी है जिसका नाम नामान्तकरण दर्ज करते समय दर्ज नही किया गया। मुताबिक दस्तावेज व ग्रामवासियान द्वारा बताये अनुसार अपीलान्ट राधाबाई मृतक देवीलाल के मृतक पुत्र माणकचन्द की पत्नी है जिसके द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति से पूनर्विवाह नही किया गया है। जिसका अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र भी पेश किया है।

अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम व माल सहरोद खाता संख्या 187 सम्वत 2073–2076, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल सहरोद खाता संख्या 189 सम्वत 2073–2076, नकल नामान्तकरण संख्या 1835 दिनांक 20.12.2023, प्रार्थना पत्र राधा बाई, वारिसान शपथ पत्र राधा बाई, आधार कार्ड राधा बाई, मतदाता पहचान पत्र राधा बाई, मृत्यु प्रमाण पत्र माणक, पेंशन भुगतान आदेश राधा बाई आदि पेश किये गये।

बहस अभिभाषक उभयपक्ष सूनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि मुताबिक जमाबन्दी ग्राम सहरोद के खाता संख्या 187 का ख0नं0 477 रकबा 0.67 है0, ख0नं0 504/1655 रकबा 0.07 है0 व ख0नं0 505/1656 रकबा 0.02 है0 कुल किता 3 का रकबा 0.76 है0 आराजी में देवलाल पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1/6 जाति जाटव शामलाती खाते तथा खाता संख्या 189 का ख0नं0 1046 रकबा 1.89 है0 भूमि में देवीलाल पुत्र रामचन्द्र हिस्सा पूर्ण जाति जाटव सा0 देह के खाते दर्ज थी। खातेदार देवीलाल पुत्र रामचन्द्र की मृत्यु हो चुकी है। अपीलान्ट राधा बाई पत्नी स्व0 माणकचन्द जाति जाटव मृतक खातेदार देवीलाल पुत्र रामचन्द्र के मृतक पुत्र माणकचन्द की

पत्नी है जिसका नाम नामान्तकरण दर्ज करते समय दर्ज नही किया गया। माणकचन्द के कोई पुत्र/पुत्री नही है तथा अपीलान्ट ने किसी भी अन्य व्यक्ति से पुर्नविवाह नही किया है।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम 2 द्वारा अपीलान्ट द्वारा किए गए कथनों को स्वीकार किया है तथा बहस के दौरान कोई आपत्ति पेश नही की है।

बहस अभिभाषकगण, पत्रावली पर उपस्थित रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार अटरू को निर्देशित किया जाता है कि वारिसान की जाँच कर पुनः नामान्तकरण दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां